Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal Online Available at www.cmrj.in
Recognized International Peer Reviewed Journal Impact Factor 4.94 ISSN No. 2456-1665

जल संसाधन उपयोग एवं संरक्षण - गोंदिया जिला

डॉ. बी.के. जैन
भूगोल विभाग प्रमुख
एम.बी.पटेल महाविद्यालय, सालेकसा,
(गोंदिया)
bjain3284@gmail.com

प्रस्तावना :–

जल एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है । मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद जल का दूसरा स्थान है । जल के बिना वनस्पती भी पनप नही सकती । इसके अतिरिक्त, कोई भी आर्थिक कार्य ऐसा नही है, जो जल के बिना संभव हो । वस्तुतः जल के बिना जीवन ही सम्भव नही हैं । जल का उपयोग मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करना रहा है । यह आवश्यकता प्रगति के साथ–साथ तेजी से कहती जा रही है । आधुनिक समय में तकनीकी विकास के कारण जल संसाधन का प्रचुर प्रयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्सय पालन जल परिवहन तथा उद्योग आदि के लिए किया जा रहा है । जल संसाधन पृथ्वी पर वर्तमान में तीन रूपों में बाँटा गया है । 1) सामुद्रिक जल 2) धरातलीय जल 3) भूमिजत जल

समुद्र जल के सबसे वृहद भंडार है । भूतल का लगभग 72 प्रतिशत भाग सामुद्रिक जल से आच्छादित है । परंतु इसका जल खारा होने के कारण मानव के लिए कुछ सीमित कार्यो में ही प्रयुक्त हो पाता है । धरातलीय जल एवं भूमिगत जल वर्षा पर आधारित होता है । फलतः उपलब्ध जल की मात्रा में अत्याधिक क्षेत्रीय भिन्नता पायी जाती है । यहाँ हम गोंदिया जिले में उपलब्ध जल संसाधन का कृषि तथा अन्य कार्य में उपयोग, तहसीलनुसार जल के संरक्षण का अध्ययन करेंगे ।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1) गोंदिया जिले क`जल संसाधन की जानकारी उपलब्ध करना ।
2) जल संसाधनों का कृषि कार्य के लिए उपयोग करना । सिंचाई साधनों की उपलब्धता की जानकारी पाप्त करना ।
3) भूतल जल व भूस्तरीय जल का उपयोग कृषी कार्य के लिए उपयोग करने के लिए संरक्षण कैसे किया गया । विविध प्रकल्पों की जानकारी एकत्रीत करना । संशोधन पध्दती गोंदिया जिले में प्राकृतिक संसाधन जल का उपयोग व संरक्षण कौनसी पध्दती से किया गया है । इस संबंध में कैसे व सरकारी प्रयासों का अध्ययन किया गया है । सभी जानकारी द्वितीयक संपको पर आधारित है । जिसमें विविध लेख, संस्करण, अहवाल, लघुशोध प्रबंध, संदर्भ महाराष्ट्र तथा विविध पुस्तको का अध्ययन करके प्रस्तुत शोध पत्र बनाया गया है ।

परिकल्पना :–

जल संसाधन का उचित प्रबंध करके उसका कृषी कार्य के लिए लाभदायक उपयोग किया जा सकता है तथा सिंचाई के विविध स्त्रोतो द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि संभव है।

गोंदिया जिले में जलसंसाधन :—

गोंदिया जिले की भुपृष्ठीय परिस्थिती वर्षा, नदियॉ व तालाब के कारण कुल मशागत क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की जाती है । जिले में जल संरक्षण के हेतु बडे, मध्य व लघु प्रकल्प बनाये गये है । जिले में इटियाडोह, वाघ, बावनथडी व कालीसद बडे प्रकल्प है । इसके अलावा मध्यम प्रकल्प भी है । जिसमें सिंचाई करके वर्षा में दो फसले की जाती है । इटियाडोह प्रकल्प से गोरेगांव अर्जुनी मोरगांव तहसील को लाभ मिलता है । गडचिरोली व चंद्रपूर जिले के प्रकल्प से सालेकसा तहसील को लाभ प्राप्त होता है । भूगर्भ जल में कुओं का प्राचीन काल से कृषी क्षेत्र में विशेष महत्व रहा है । कुओं के माध्यम से भूगर्भ जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है ।

कृषी में हरितक्रांति लाने के लिए नहर द्वारा सिंचाई संभव है । गोंदिया जिले मे वैनगंगा नदी प्रमुख है । जिसकी लंबाई 200 कि.मी. है जो गोदावारी से जुडती है । जिले में कुछ मानसुन नदीयाँ है जैसे वाघ, पांगोली, बावनथडी, चांदन आदि । वैनगंगा नदी पर सिरपूर में बड़ा बांध देवरी तहसील में बनाया गया है । उसी प्रकार सालेकसा तहसील में पुजाराटोला में बाध बनाया गया है । 2010—2011 में जिले में कुल नहरो की संख्या 229 है जिसमें से 59 सालेकसा व 51 गोंदिया तहसील में है । बससे कम नहर संख्या 11 आमगांव तहसील से है । कुछ नहरों की सिंचाई काफी अधिक अर्थात 33 नहर 14.42 है । कुल नहरों का है । जिससे सालेकसा में 13 गोंदिया व अर्जुनी मोरगांव में 06 तथा सडक अर्जुनी व देवरी 03 नहरो की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक है । सिंचाई सुविधा की उपलब्धता कृषि विकास के लिए उचित मानी गयी है । गोंदिया जिले में विविध साधनों के माध्यम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है । जिसका विविध फसलो के उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है । गोंदिया जिले में मुख्य फसल चावल की ली जाती है । कुल फसलो की जानकारी यहाँ तहसील के आधार पर दी गयी है । जिसमें कुल फसलो के लिए उपलब्ध सिंचन क्षमता का उल्लेख किया गया है ।

गोंदिया जिले में उपलब्ध सिंचाई प्रकल्प :—

जनसंख्या वृध्दि के कारण खाद्य पदार्थो की मॉंग बढ़ी उसे पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त कृषि उत्पादन करना आवश्यक हो गया । लोगों की कृषि पर निर्भरता बढ़ने लगी । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनो को बढ़ाना आवश्यक हो गया । सिंचाई प्रकल्प का कृषि कार्य में अपना विशेष महत्व रखते है । इस दृष्टि से गोंदिया जिल में बड़े मध्यम व छोटे प्रकल्प बनाने का कार्य किया गया । ताकि मानसून का पानी उचित उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जा सके ।

1) बड़े सिंचाई प्रकल्प (Major Irrigation Project) :—

गोंदिया जिले में तीन बड़े प्रकल्प है । पहला इडियाडोह प्रकल्प अर्जुनी मोरगांव तहसील में स्थित है, दूसरा कालीसराय तथा तीसरा सिरपुर में दोनों देवरी तहसील में आते है ।

अ) इटियाडोह प्रकल्प :—

अर्जुनी मोरगांव तहसील में इटियाडोह प्रकल्प का प्रारंभ दूसरी पंचवार्षिक योजना में हुआ । इस प्रकल्प का उद्देष्य 53382 हेक्टर भूमी को सिंचित करना था । 30 मीटर उँचा तथा 117 कि.मी. लंबा बांध है । इस बांध की क्षमता 12438 होकर 60730 हेक्टर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। यह प्रकल्प 1981 में पूर्ण हुआ। गोदावरी नदी से संबंधित है।

ब) वाघ प्रकल्प :–

यह प्रकल्प पुजाराटोला आमगांव तहसील में होकर 1981 में पूर्ण हुआ। बाँध की क्षमता 4870 घनमीटर होकर सिंचित क्षेत्र 29716 हेक्टर है।

क) काल सराद प्रकल्प :–

यह प्रकल्प सालेकसा तहसील में होकर 1990 में पूर्ण हुआ। जिसकी क्षमता 27350 घन मी होकर सिंचित क्षेत्र 3522 हेक्टर है। इस प्रकल्प का लाभ मध्यप्रदेश को भी हुआ है।

2) मध्यम सिंचाई प्रकल्प (Medium Irrigation Project) :–

ग्यारवी पंच वार्षिक योजना 2010–11 तक जिले मे नौ मध्यम प्रकल्प पूर्ण किये जा चुके है। जिसकी विश्वस्त जानकारी निम्न द्वारा दर्शायी है।

2010–2011 तक मध्यम सिंचाई प्रकल्प धापेवाडा तिरोडा तहसील के अंतर्गत कार्य शुरू है। उपसा सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य गोंदिया तहसील में प्रारंभ है। गोंदिया जिले में कुल सिंचाई क्षमता क्षेत्र 22186 हेक्टर है तथा तहसील के अनुसार गोरेगांव में 2059 हेक्टर तिरोडा में 4225 हेक्टर सिंचन की क्षमता है।

3) लघु सिंचन प्रकल्प :–

गोंदिया जिले में 35 लघु सिंचन प्रकल्प है जिकी सिंचाई क्षमता 250 हेक्टर से ज्यादा है। तहसील के आधार पर उसका विवरण निम्ननुसार है। गोंदिया तहसील में पाँच लघु सिंचन प्रकल्प है जो कि झिलमीली, हरी, पांगडी, सोनेगांव गुमदोह में है। तिरोडा तहसील में दो लघु सिंचन प्रकल्प भदभदया व रिसाला में पूर्ण हो चुके है। सालेकसा तहसील में पिंपरीया व खेडेंपार पाटबंधारा पूर्ण हो चुके है। सडक अर्जुनी तहसील में तीन लघुसिंचन प्रकल्प पूर्ण हो चुके है वे है चिरचाडी, डोंगरनगांव व सौंदड। सबसे अधिक लघुसिंचन प्रकल्प अर्जुनी मोरगांव तहसील में दिखलायी देते है। ये आठ प्रकल्प इसप्रकार है जुनेबानी, नवेगांव बांध, गंगाझरी दिघौरी, राजौली, निमगांव, ताडगाव, मोरगांव में पूर्ण हो चुके है। देवरी तहसील में तीन लघ सिंचन प्रकल्प है।

आक्टीटोला, सालेगांव, रेडाडी में पूर्ण हो चुके है। इसके अलावा 16 लघु सिंचन प्रकल्प का निर्माण कार्य शुरू है। पिंडकेपार गोंदिया तहसील में, निमगांव व भूराटोला तिरोडा तहसील में ओवारा, पुराडा, मुरदोली, पालांदुर जमीनदारी देवरी तहसील में तथा आसोली आमगांव मे बेवारटोला तथा पांढरवानी सालेकसा तहसील में शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।

गोंदिया जिला महाराष्ट्र का अत्यंत पिछड़ा व आदिवासी जिला है। कृषि विकास के लिए विविध सुविधा का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। सिंचाई के लिए जिले बडे, मध्यम व लघु प्रकल्प के द्वारा 250 हेक्टर से ज्यादा व 250 से कम क्षेत्र में फसल ली जाती है। जिले के आदिवासी क्षेत्र में दो बडे प्रकल्प पूर्ण हो चुके है। जिसके द्वारा 48352 हेक्टर तथा पाँच मध्यम प्रकल्प के द्वारा 20705 हेक्टर क्षेत्र में फसल की जाती है। 28 लघु प्रकल्प की सहायता से 25711 हेक्टर भूमि पर कृषि कार्य किये जाते है। दो फसल का उत्पादन होने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

खाद्य उत्पादन तथा कुल सिंचाई क्षेत्र :–

जिले मे 2010–2011 में सकल फसल क्षेत्र 236744 हेक्टर था जिसमे से 115519 हेक्टर क्षेत्र में सिंचन सुविधा उपलद्ध था। सारणी के आधार पर तहसील के अनुसार कुल खाद्यान्न क्षेत्र तथा सिंचन सुविधा उपलद्ध क्षेत्र को दर्शाया गया है।

उपाय योजना :– कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल अत्याधिक महत्वपुर्ण संसाधन माना गया है। जल संरक्षण करने तथा कृषि विकास में अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कुछ उपायों को ध्यान में रखना होंगा।

1) धरातलीय जल मानव जीवन के लिए अधिक महत्वपुर्ण है जो वर्षा द्वारा प्राप्त होना है। इसका संरक्षण न किया तो समुद्र की और उन्मुख हो जाता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम वर्षा के जल को संग्रह करने के लिए तालाब बाबडी बनाकर रोकना होगा तथा नदियों पर बांध बनाकर प्रवाह को नियमित करना होगा ताकि उसका उचित उपयोग किया जा सके
2) जल का सदुपयोग भी जल सरंक्षण का प्रमुख तत्व है। अतः घरेलु औद्योगिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पुर्ति हेतू जल का उपयोग करके दुरूपयोग को रोककर किया जा सकता है।
3) प्रत्येक किसान ने अपने क्षेत्र में एक तालाब बनाये ताकि रबी फसल में उस जल का उपयोग किया जा सके व मत्स्य पालन भी संभव हो सकेगा
4) सरकारी योजना का लाभ लेकर कृषक कुँओं व बोरवेल का निर्माण कर सिंचन सुविधा बढ़ाकर कृषि उत्पादकता बढ़ा सकता है। वर्ष में दो फसल लेना उसे संभव होगा।
5) भूमिगत जल का अत्याधिक उपयोग भूमिगत जल के स्तर को नीचा कर देता है। भूमिगत जल की मात्रा क्षेत्र विशेष में सीमित होती है। उसका स्तर समाप्त न हो इसलिए भूमिगत जल के अत्याधिक शोषण को रोकने की व्यवस्था की जाये।
6) जमीन के अंदर अत्याधिक जल प्रवेश हेतु वन तथा मिट्टी से सम्बन्धित तत्वों की सुरक्षा की जाये।
7) इसके अतिरिक्त भूगर्भ जलाशयों के निर्माण की नवतकनीक का विकास करके भूमि जल संचल को बढ़ाया जा सकता है।
8) भूतापीय जल एक प्रकार का भूमिगत जल जो काफी गहराई में होता है। उसका भी प्रयोग किया जाये।
9) सिंचाई के उन्नत विधियाँ अपनाकर जल के बड़े भाग को संरक्षित किया जा सकता है।

संदर्भ :–

1) दास्ताने संतोष – महाराष्ट्र 201 – दास्ताने रामच आणि कंपनी पूणे – 2011.
2) शर्मा – संदर्भ महाराष्ट्र– इंटीलेकचर पब्लिकेशन्स, भोपाल 2006.
3) मलिक नरेश – मृहा एवंज ल संरक्षण – मिलजली प्रकाशन जयपुर 2013.
4) गुर्जर रामकुमार – जल संसाधन भूगोल – रावत पब्लिकेशन जयपुर 2004.
6) नाथनी प्रकाशनारायण – भारत में कृषि एवं ग्रामीण – श्री पब्लिकेशन जयपूर 2004.
7) माथुर बी.एन. –कृषि अर्थशाला – अर्जुन पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली 2009.
8) गर्ग एच.एस. – समुद्र विज्ञान के आधार – आयेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 2013.
9) जाट व कुमार अजरा – जल संकट – ज्योति प्रकाशन, जयपूर 2014.